

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

1. संस्था का नाम : राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. संस्था की स्थापना : भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अध्यापकों के कल्याणार्थ उनके परिवार की सहायताार्थ चेरिटेबल एडोनमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा महासमिति की घोषणा 25 जून 1962 की गई तथा समस्त भारतवर्ष में राजस्थान सहित 4 जून 1964 – 2 अगस्त 1975 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी।
3. संस्था के अध्यक्ष : इस संस्था के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं।
4. संस्था के सचिव-कोषाध्यक्ष : श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
5. संस्था की प्राप्तियां : शिक्षक दिवस के अवसर पर झण्डियों के वितरण से प्राप्त राशि
6. संस्था के कार्य : अध्यापकों के निधन पर उनके आश्रितों को रुपये 5,000/- की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान, भारत सरकार की योजना अन्तर्गत अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु रुपये 15,000/- की सहायता एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को भारत भ्रमण की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।
7. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रतिवर्ष 1,00,000/- का अंशदान इस कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
8. शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष झण्डियों के वितरण से प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत भाग नई दिल्ली को भिजवाया जाता है।
9. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान बीकानेर संस्था में झण्डियों के वितरण से प्राप्त राशि बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से प्राप्त होती है। एवं सहायता राशि आदि का भुगतान भी बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा ही किया जाता है। संस्था में नगद राशि का लेनदेन नहीं किया जाता है।